कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 51/2020 दिनांक: अक्टूबर, 09/2020

प्रेस नोट

तस्करी हेतु नाजायज गांजा ले जा रहे दो अभियुक्त थाना रोहनियां पुलिस द्वारा गिरफ्तार, कब्जे से 12 किलो 800 ग्राम नाजायज गांजा व गांजा बिक्री के रु0-270 नकद बरामद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 08.10.2020 को प्रभारी निरीक्षक रोहनियां मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र तलाश वाँछित अभियुक्तगण के बच्छाँव बाजार में मौजूद थे इसी दौरान ग्राम औढ़े की तरफ से दो व्यक्ति हाथों में बड़े-बड़े थैले लटकाये हुए आते दिखाई दिये, संदेह होने पर मौके पर मौजूद पुलिस बल द्वारा उक्त व्यक्तियो को नजदीक आने पर एकाएक दबिश देकर पकड़ लिया गया, जिनकी तलाशी ली गयी तो उनके पास थैलो में से कुल 12 किलो 800 ग्राम नाजायज गांजा, व गांजा बिक्री के रु0270/- नगद बरामद हुआ। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना रोहनियां पुलिस द्वारा अभियुक्तगण अशोक जायसवाल व आफताब उर्फ टिंगूर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1- अशोक जायसवाल पुत्र मुन्नूलाल जायसवाल निवासी ग्राम बरेव थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर, उम्र करीब 46 वर्ष

2- आफताब उर्फ टिंगूर पुत्र उमर निवासी ग्राम रानीबाजार,राजातालाब थाना रोहनिया जनपद वाराणसी, उम्र करीब 37 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1 - 12 किलो 800 ग्राम अवैध नाजायज गाँजा ,

2 – गांजा बिक्री के रु0-270/- नगद व 01 अदद मोबाइल की-पैड सैमसंग

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 0412/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना रोहनियां वाराणसी।
- मु0अ0सं0 0413/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना रोहनियां वाराणसी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- प्रभारी निरीक्षक रोहनियां परशुराम त्रिपाठी, उ0नि0 ओम प्रकाश यादव, उ0नि0 घनश्याम गुप्ता, का0 अविनाश शर्मा व का0 भावेश कुमार मिश्रा थाना रोहनियां, वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

।। सत्यमेव जयते
थाना रोहनियाँ, जनपद - वारा
सौजन्य से :-
"वाराणसी पुलिस सदैव
आपकी सेवा में तत्पर
हैं।
REDMI NOTE 5 PRO
MI DUAL CAMERA

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 52/2020 दिनांक: अक्टूबर, 09/2020

प्रेस नोट

दिनांक 08.10.2020 को थाना बड़ागॉव के उ0नि0 सुभाष सिंह, मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0- 441/2020 धारा -363 भादवि व 16/17 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मुन्ना बिन्द पुत्र दशमी बिन्द निवासी बाबतपुर थाना बड़ागॉव वाराणसी को बाबतपुर तिराहे से समय 16.10 बजे गिरफ्तार कर लिया गया जिसके कब्जे से अपहृता बरामद हुई। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना बड़ागॉव पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त विवरण-

- मुन्ना बिन्द पुत्र दशमी बिन्द निवासी बाबतपुर थाना बड़ागांव वाराणसी उम्र-23 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

- उ0नि0 सुभाष सिंह, का0 सौरभ कुमार यादव, का0 सत्येन्द्र कुमार व म0का0 आरती सिंह थाना बड़ागाँव, जनपद – वाराणसी

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 53/2020 दिनांक: अक्टूबर, 09/2020

प्रेस नोट

आईपीएल क्रिकेट में सट्टा खेलते हुए पश्चिम बंगाल के 12 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से रु0- 3,64,690/- (तीन लाख चौसठ हजार छः सौ नब्बे रुपया) नगद, 04 अदद चार पहिया वाहन, 22 अदद मोबाइल फोन, 04 अदद लैपटाप, 01 अदद टैबलेट, 01 अदद डोंगल व 07 अदद डायरी बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक अपराध, क्षेत्राधिकारी अपराध के निर्देशन व स0पु0अ0/क्षेत्राधिकारी चेतगंज के कुशल नेतृत्व में क्राइम ब्रान्च व थाना सिगरा की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 08-10-2020 को मुखबिर की सूचना पर रिलायंस पेट्रोल पम्प के पास डिडवानिया अपार्टमेंट महमूरगंज के छठवें तल पर फ्लैट नं0 604 में किंग्स इलेवन पंजाब व हैदराबाद के मध्य होने वाले आईपीएल मैच में सट्टा खेलते हुए 12 व्यक्तियो को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से रु0-3,64,690/- (तीन लाख चौसठ हजार छः सौ नब्बे रुपया) नगद, 04 अदद चार पहिया वाहन, 22 अदद मोबाइल फोन, 04 अदद लैपटाप, 01 अदद टैबलेट, 01 अदद डोंगल व 07 अदद डायरी बरामद किया गया।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वाराणसी में हम लोग आईपीएल में सट्टा खेलने व खिलवाने का काम करते है। हम लोग इसी फ्लैट में बैठकर मोबाइल से बात कर सट्टा का रेट तय कर वाराणसी के सभी सट्टा खेलने वाले व्यक्तियों को मोबाइल से जोड़कर रेट तय करके आईपीएल मैंच में प्रतिदिन सट्टा खेलने व खेलवाने का काम करते है तथा सट्टा खेलने वाले व्यक्तियों से पैसा एकत्रित करने व जीतने पर उनका पैसा पहुचाने का काम भी हम लोग करते है। रेट मैच के शुरुआत मे तय हो जाता है उसके अनुसार हार-जीत के मुताबिक पैसा वसूलते है। किंग्स इलेवन पंजाब व हैदराबाद के मध्य होने वाले आईपीएल मैच में रुपयों का सट्टा लगा रहे थे कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.आशीष तिवारी S/O इन्द्रमणि तिवारी निवासी ग्राम सतनपुर थाना जंसा वाराणसी (हाल पता- 11 नं0 जोश माया देवी लेन थाना हावड़ा जनपद हावडा)।

2.अमित असमपुरिया S/0 मलिराम असमपुरिया R/O 403/1 दक्षिण थारी रोड थाना लेक टाऊन कोलकता (पश्चिम बंगाल)।

3. प्रतीक शर्मा S/O राम अवतार शर्मा R/O 302APC रोड थाना नारकल जिला ढांगा कोलकता (पश्चिम बंगाल)।

4. बलदेव सोनी S/O स्व0 भवंरलाल जी सोनी पता म0 नं0 272 कैनल हिस्ट्री लेक टाईन ऐरिया थाना लेक टाऊन
कोलकता 700048 (पं0 बंगाल)।

5.गौतम चौधरी S/O राम चन्द्र चौधरी पता -16 N लेन हाबडा थाना हावड़ा जनपद पश्चिम बंगाल।
6.नवल मेहरा S/O बाबू लाल मेहरा पता 68 बलराम दे स्ट्रीट कोलकता -700006 थाना गिरीश पाल जिला कोलकता।
7. अश्वनी तिवारी S/O सुभाष चन्द्र तिवारी ग्राम सतन पुर पोस्ट रैशी पुर थाना जंसा वाराणसी।
8.चन्दन यादव S/O नन्हकू यादव पता 73 बोन बिहारी बोस रोड थाना हाबड़ा जनपद हाबड़ा।
9.सन्दीप कुमार चौहान S/O राम शकल चौहान पता 31 बिहारीलाल चक्रवर्ती लेन हाबड़ा वन थाना हावड़ा जनपद हावड़ा।
10. सौरभ सिंह S/O शेखऱ सिंह पता 391/2 जी.टी. रोड (नार्थ) सलकिया थाना गोला वाड़ी जिला हावड़ा।
11. मनीष तिवारी S/O स्व0 इन्द्रमणि तिवारी पता 11 नं0 जोश माया देवी लेन थाना हावड़ा जनपद हावडा।
12.राजदेव चौधऱी पुत्र तारकनाथ पता 9 नं0 रामेश्वर मालिया लेन हावड़ा।

आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0-458/20 धारा 3/4/5 जुआ अधि0 व धारा 207 एमवी एक्ट

विवरण बरामदगी-

1. रु0-3,64,690/- (तीन लाख चौसठ हजार छः सौ नब्बे रुपया) नगद।
2. 04 अदद वाहन क्रमशः स्विफ्ट डी आई नं0 WB-12 C 6943, 2. फोर्ड इको स्पोर्ट नं0 –WB 08 A 3322, 3.महिन्द्रा अल्ट्रास नं0 G4–WB 20 BB 7799,4. किया सेल्टास WB-12 BC 7799
3. 22 अदद मोबाइल फोन,
4. 04 अदद लैपटाप,
5. 01 अदद टैबलेट,
6. 01 अदद डोंगल,
7. 07 अदद डायरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना सिगरा-

प्र0नि0 थाना सिगरा आशुतोष कुमार ओझा, उ0नि0 राम नरेश यादव-चौकी प्र0 नगर निगम, उ0नि0 विजय प्रकाश यादव-चौकी प्र0 लल्लापुरा, उ0नि0 अमित कुमार यादव, हे0का0 संजय सिंह यादव, हे0का0 राजेन्द्र बहादुर सिंह, का0 विपिन बिहारी ओझा, का0 मनोज कुमार यादव, का0 रमेश चन्द्र पाण्डेय, का0 ज्ञानेन्द्र कुमार यादव, का0 राकेश कुमार ,का0 जितेन्द्र व का0 अजीत कुमार थाना सिगरा वाराणसी।

क्राइम ब्रांच-

- उ0नि0 अश्वनी कुमार पाण्डेय प्रभारी क्राइम ब्रान्च, हे0का0 पुण्यदेव सिह, हे0का0 सुरेन्द्र मौर्य, का0 रामबाबू, का0 जितेन्द्र सिंह, का0 विनय सिंह, का0 अनूप कुशवाहा, का0 शिवबाबू ,का0 मृत्युजंय सिंह, का0 अमित शुक्ला, का0 आलोक मौर्या ,का0 बालमुकुन्द मौर्या, का0 सूरज सिंह, का0 नीरज मौर्या वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 54/2020 दिनांक: अक्टूबर, 09/2020

प्रेस नोट

थाना लोहता पुलिस द्वारा गैंगेस्टर के अभियुक्त अमन श्रीवास्तव द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से क्रय की गयी मोटरसाइकिल कीमत रु0-40,000/- की गैंगेस्टर एक्ट की धारा-14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

थाना लोहता, वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0 284/2020 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 से संबंधित अभियुक्त अमन श्रीवास्तव पुत्र स्व0 नरेश श्रीवास्तव निवासी बनकट रेलवे क्रासिंग के पास थाना लोहता वाराणसी एक शातिर किस्म का अपराधी है। अभियुक्त उपरोक्त अपराध जगत में सक्रिय रहकर अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों को आर्थिक एवं भौतिक लाभ पहुँचाने का कार्य करता है। अमन श्रीवास्तव द्वारा आपराधिक कृत्यो से अर्जित धनराशि से एक मोटरसाइकिल टीवीएस स्टार स्पोर्ट्स संख्याः यूपी-65 सीएन-2161 कीमत रु0-40,000/- को क्रय किया गया। जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा उक्त सम्पत्ति को कुर्क करने सम्बन्धी प्राप्त आदेश के अनुपालन में आज दिनाँक 09.10.2020 को थानाध्यक्ष लोहता विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा मय हमराह पुलिस बल के उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 से संबंधित अभियुक्त अमन श्रीवास्तव उपरोक्त की मोटरसाइकिल टीवीएस स्टार स्पोर्ट्स जिसकी कीमत रु0-40,000/- है, की गवाहों के समक्ष डुगडुगी पिटवाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

आपराधिक इतिहास–

1- मु0अ0सं0-139/2019 धारा-392/411 भादवि थाना लोहता, वाराणसी।
2- मु0अ0सं0-602/2019 धारा-392/411 भादवि थाना कैण्ट, वाराणसी।
3- मु0अ0सं0-758/2019 धारा-323/392/452/411 भादवि थाना कैण्ट, वाराणसी।
4- मु0अ0सं0-57/2019 धारा-392 भादवि थाना लक्सा, वाराणसी।
5- मु0अ0सं0-284/2019 धारा-3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना लोहता, वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-ssppvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 55/2020 दिनांक: अक्टूबर, 09/2020

प्रेस नोट

क्राइम ब्रान्च व थाना लक्सा पुलिस टीम द्वारा 01 दर्जन मुकदमों में वांछित शातिर लूटेरा दिनेश सिंह उर्फ सोनू सोनार गिरफ्तार, कब्जे से लूट की चेन की बिक्री के रु0-12,720 नगद, 01 अदद तमन्चा.315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल पल्सर बरामद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियो पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व पुलिस अधीक्षक अपराध के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी दशाश्वमेध के नेतृत्व में दिनांक 08.10.2020 को प्रभारी निरीक्षक लक्सा मय हमराह पुलिस बल के थाना लक्सा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 066/2020 धारा 392 भादवि0 व 068/2020 धारा 392 भादवि0 में अज्ञात अभियुक्त की तलाश, पतारसी-सुरागरसी व गिरफ्तारी हेतु मुहल्ला रामापुरा में मौजूद थे, इसी दौरान क्राइम ब्रांच प्रभारी अश्वनी कुमार पाण्डेय मय पुलिस टीम आकर मिले। सभी लोग जनपद में हो रही लूट की घटनाओं के अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि थाना लक्सा पर पंजीकृत लूट के मुकदमों से सम्बन्धित अभियुक्त दिनेश सिंह उर्फ सोनू सोनार जो लक्सा व आस पास के क्षेत्र में किसी बडी घटना को अंजाम देने के

मकसद से रेकी करने आया है, इस समय रेवडी तालाब से कमच्छा की तरफ आने वाली रोड की तरफ आ रहा है।

उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक लक्सा व प्रभारी क्राइम ब्रांच मय पुलिस टीम द्वारा कमच्छा मोड़ से रेवडी तालाब की तरफ जाने वाली रोड पर पहुँचकर समय करीब 23.45 बजे अभियुक्त सोनू सोनार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से मु0अ0सं0-66/2020 व 68/2020 धारा-392/411 भादवि से सम्बन्धित चेन बिक्री के रु0-12,720/- नगद व 02 अदद मोबाईल फोन, आधार कार्ड, 01 अदद मोटरसाइकिल पल्सर संख्याः यूपी-65 बीपी-0660, 01 अदद देशी तमन्चा-.315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस-.315 बोर बरामद हुआ। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लक्सा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त दिनेश सिंह उर्फ सोनू सोनार ने बताया कि दिनांक 31/08/2020 को दोपहर के समय गुरूबाग नाईट क्यून के पास इसी पल्सर मोटर साइकिल से मैंने अपने दोस्त संजय पुत्र विमल हरिजन निवासी ग्राम पहाड़ी डीएलडब्लू थाना मडुवाडीह वाराणसी के साथ मिलकर आटो से आ रही महिला के गले की चेन छीनी थी, उसके बाद काफी अफरा तफरी मच गयी और लोग इकट्ठा होने लगे कि हम लोग मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले। उसी दिन शाम के वक्त सीबी मार्ट के पास मैंने अपने साथी संजय के साथ मिलकर फिर एक महिला के गले की चेन लूट कर भाग गये। हम लोगों द्वारा उक्त दोनों महिलाओं के गले से लूटी हुयी चेन को आम राहगीर को कैण्ट रेलवे स्टेशन के पास बेच दिया था यह उसी चेन का पैसा है। मेरे हिस्से में आया हुआ कुल रु0-31000/- में से मैने संजय हरिजन के माध्यम से बिहार प्रान्त के किसी जिले से एक तमंचा व कारतूस खरीद कर मगवाया था। कुछ पैसै खर्च हो गये और कुछ मेरे पास में थे जो आप लोगो द्वारा पकड लिया गया। इसी तमंचे व कारतूस का भय दिखाकर जनपद वाराणसी में घटनाये कारित करने की फिराक में आज भी रेवडी तालाब से कमच्छा की तरफ कुछ लोगो की रेकी करने हेतु आया था कि पकडा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- दिनेश सिंह उर्फ सोनू सोनार पुत्र अमर सिंह निवासी बी 13/27 ए सोनरपुरा थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र करीब 38 वर्ष।

बरामदगी का विवरण—

- मु0अ0सं0-66/20 व 68/20 धारा 392 /411 भादवि0 से सम्बन्धित चेन बिक्री के पैसे कुल रु0-12,720 नकद।
- 02 अदद मोबाइल फोन व आधार कार्ड।
- 01 अदद पल्सर मोटर साइकिल संख्याः यूपी-65 बीपी-0660
- मु0अ0सं0 85/20 धारा 3/25ARMS ACT से सम्बन्धित 01 अदद नाजायज देशी तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

अपराधिक इतिहास—

1.मु0अ0सं0 525/2009 धारा 4/25 ARMS ACT थाना भेलूपुर वाराणसी।

2. मु0अ0सं0 526/2009 धारा 8/22 NDPS ACT थाना भेलूपुर वाराणसी।

3.मु0अ0सं0 236/10 धारा 3/4गुण्डा एक्ट थाना भेलुपूर वाराणसी

4. मु0अ0सं0 25/2017 धारा 392 भादवि0 व बढोत्तरी धारा 411/120बी/216 भादवि0 थाना लक्सा वाराणसी।

5. मु0अ0सं0 54/2017 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना लक्सा वाराणसी।
6. मु0अ0सं0 159/16 धारा 395, 397, 412 भादवि0 थाना सिगरा वाराणसी।
7. मु0अ0सं0 162/16 धारा 3/25 ARMS ACT थाना सिगरा वाराणसी।
8. मु0अ0सं0 1396/16 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना सिगरा वाराणसी।
9. मु0अ0सं0 214/2017 धारा 394, 323, 302, 411 , 120बी भादवि0 थाना मुगलसराय चंदौली
10. मु0अ0सं0 66/2020 धारा 392 /411भादवि0 थाना लक्सा वाराणसी।
11. मु0अ0सं0 68/2020 धारा 392/411 भादवि0 थाना लक्सा वाराणसी।
12. मु0अ0सं0 85/2020 धारा 3/25ARMS ACT थाना लक्सा वाराणसी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लक्सा-

प्र0नि0 लक्सा महातम यादव, उ0नि0 अश्वनी कुमार मिश्रा, उ0नि0 अखिलेश कुमार, का0 आलोक प्रताप सिंह, का0 प्रमोद चौहान, का0 विकास साहू, का0 रांजन खान, का0 विश्वजीत यादव व का0 राहुल कुमार खरवार थाना लक्सा वाराणसी।

क्राइम ब्रांच वाराणसी टीम-

प्रभारी क्राइम ब्रान्च उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार पाण्डेय, हे0का0 पुनदेव सिंह, का0 विनय सिंह, का0 बाल मुकुन्द मौर्या, का0 जितेन्द्र, का0 सुरज सिंह, का0 अमित शुक्ला, का0 शिव बाबू व का0 आलोक मौर्या क्राइम ब्रांच वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 56/2020 दिनांक: अक्टूबर, 09/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरुरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 09-10-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 47 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *105 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1609 वाहनों का चालान, 24 वाहनों को सीज तथा 239 वाहनों से रु0-2,03,500/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 09-10-2020 को जनपद वाराणसी राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरूद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 1742 व्यक्तियों से रु0-96,500/- जुर्माना* जमा कराया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।